



# जालौन पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मंगल सिंह पुत्र स्व० ग्याप्रसाद नि० ग्राम जहरौली जनपद जालौन द्वारा वादी के भाई को पुरानी रंजिश के कारण जान से मारने की नियत से पेट में चाकू व पीठ में गोली मार देने के सम्बन्ध में थाना सिरसाकलार में मु०अ०सं० 71/18,72/18,73/18 (वाद संख्या - 160/18,161/18,162/18 ) धारा 307 भादवि व 3/25 व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 29.08.2023 को मा० न्यायालय डी०जे० कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मंगल उपरोक्त को दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 65,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 07.08.2018 को अभियोग पंजीकृत हुआ था। माननीय न्याया० द्वारा आरोप के विचारण के बाद (करीब 05 वर्ष में) अभियुक्त को दण्डित किया गया।



DGC क्रिमिनल लखन लाल  
निरंजन



कोर्ट पैरोकार सत्येन्द्र

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice